कार्यवाही — एक करोड़ का जीएसटी टैक्स का मामला रफा-दफा करने के एवज में होटल कारोबारी से मांगी थी दस लाख की घूस

जीएसटी अधीक्षक व इंस्पेक्टर 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जबलपुर। सीबीआई ने ग्वारीघाट स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में बुधवार रात छापेमारी करते हुए चार लाख रूपए की रिश्वत लेते अधीक्षक और एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है। दस लाख की रिश्वत एक करोड़ की जीएसटी टैक्स का मामला रफा-दफा करने के एवज में होटल कारोबारी से मांगी थी। प्रथम किश्त लेते दोनों को पकड़ा गया है। बुधवार रात्रि हुई कार्रवाई से जीएसटी अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई देर रात तक जारी रही।

सूत्रों के मुताबिक विवेक त्रिपाठी होटल संचालक है उनके शहर में कई होटल है जहां केंद्रीय जीएसटी के अधीक्षक मुकेश बर्मन एवं इस्पेक्टर सचिन खरे ने जांच की थी। इस दौरान दस्तावेजों व अन्य जांच पड़ताल के बाद एक करोड़ का टैक्स निकाला था। होटल कारोबारी विवेक त्रिपाठी पर 1 करोड़ रूपये की रिकवरी निकालने के बाद दोनों ने होटल कारोबारी से दस लाख रूपये रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत होटल कारोबारी ने सीबीआई में की थी। शिकायत सत्यापन के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और ग्वारीघाट स्थित केंद्रीय जीएसटी में योजना बनाकर होटल कारोबारी को रिश्वत की प्रथम किस्त के साथ कार्यालय भेजा गया। जैसे ही रिश्वत की रकम ली गई वैसे ही सीबीआई ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया है। देर रात समाचार लिखे जाने तक सीबीआई की कार्यवाही जारी रही।

दस्तावेज खंगाले, आवासों में भी दबिश

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जीएसटी कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाले। इसके साथ ही अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसके बाद अधिकारियों के घरों में भी दबिश दी जहां पर भी जांच पड़ताल की गई। दस्तावेजों की जांच हुई।

आज कोर्ट में करेंगे पेश

सूत्र बताते है कि जीएसटी अधिकारियों को आज सीबीआई विशेष न्यायालय में पेश करेगी। जिसके बाद उनकी रिमांड की डिमांड भी की जा सकती है।

ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी को हाईकोर्ट में चुनौती

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर शहर में ई-रिक्शा की अराजकता व धमाचौकड़ी को चुनौती दी गई है। नियमों में छूट के चलते ई-रिक्शॉ सडक़ों पर अव्यवस्था फैला रहे हैं। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, परिवहन आयुक्त, कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह जनहित का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 के तहत ई-रिक्शॉ व बैटरी चलित वाहनों को छूट दी है। याचिका में नियम में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि यह संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के मूल स्वरूप का उल्लंघन कर किया गया है। इस संशोधन के चलते ई-रिक्शॉ चलाने के लिए चालक को आरटीओं से ड्रायविंग लायसेंस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि कानून में इनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, इसलिये बेधडक़ इनका संचालन बढ़ रहा है। कई ई-रिक्शॉ तो नाबालिग तक चला रहे हैं। ई-रिक्शॉ की अराजकता के चलते कुछ दिन पहले कलेक्टर ने हस्तक्षेप करते हुए स्कूलों में इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

इंदौर ट्रक हादसे में सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के पूर्व निर्देश के पालन में इंदौर सडक़ हादसे के मामले में बुधवार को सरकार की ओर सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने रिपोर्ट को रिकार्ड पर ले लिया इसी के साथ प्रयासों को अमली जामा पहनाने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर की शाम एयरपोर्ट इलाके की सडक़ों पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इंदौर में नो एंट्री में ट्रक के कोहराम मचाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने की व्यवस्था दी थी।

पारा 8 डिग्री : कोहरा-सर्द हवाएं बढ़ा रही ठुठरन

जबलपुर। पारे में उतार चढ़ाव के साथ सर्द हवाएं ठंडी का अहसास करवा रही है। दिन में जरूर धूप खिलने से ठंड से राहत है लेकिन शाम ढलने के साथ रातभर ठंड अपना असर दिखा रही है। सुबह कोहरे की सादर के साथ हो रही है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 83 और शाम को 57 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पूर्व हवाएं 3 से 4 किमी की रफ्तार से चली। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के रूप में जम्मू के ऊपर, माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर स्थित है। मध्य क्षोभमंडल की पछुआ हवाओं में एक ट्रफ मौजूद है, जिसकी धुरी औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊँचाई फैली हुई है। उत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर, 222 किमी, घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाए बह रही है। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार कर बना दिया ब्लॉक अध्यक्ष !

- कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव ने पद से दिया इस्तीफा
- कैंट ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उठे विरोध के स्वर
- पार्टी के ही नेताओं ने संगठन सृजन अभियान के नियमों का माखौल उड़ाया

नवभारत,जबलपुर। कांग्रेस पार्टी में अंत:कलह इस कदर हावी हो चुकी है कि अब पार्टी के नेता अपने पद से इस्तीफा देते नजर आने लगे हैं। ताजे मामले में प्रदेश संगठन सचिव मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के सुरेंद्र यादव ने अपने पद से और जवाहर गंज वार्ड क्रमांक 22 के बीएलए प्रभारी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे का कारण सुरेंद्र यादव ने नवभारत को बताया कि कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के नियमों का उल्लंघन करके कैंट विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष पवन कनौजिया की नियुक्ति की गई है। सुरेंद्र के अनुसार पार्टी द्वारा बनाए गए नए ब्लॉक अध्यक्ष पिछले 4 सालों से पार्टी से जुड़े हैं और इन्होंने कभी किसी बड़े जनआंदोलन में कांग्रेस का झंडा तक नहीं उठाया है।

जबकि वे खुद वर्ष 1998 से कांग्रेस से जुड़कर जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। जबलपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के प्रभारी राजकुमार खुराना से जब सुरेंद्र यादव ने गत दशहरे के समय पूछा कि क्या आपने ब्लॉक अध्यक्ष के लिए उनका नाम ऊपर भेजा है तो उन्हें उस वक्त आश्वासन तो मिला था लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सारे विरोध के स्वर खड़े हो उठे।

मिलीभगत का आरोप

अपने पद से इस्तीफा देने वाले सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाकर ये भी कहा कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, कैंट के अभिषेक चिंटू चौकसे और कांग्रेस ने ता आलोक मिश्रा की आपसी सांठगांठ से कैंट ब्लॉक के अध्यक्ष पवन कनौजिया की नियुक्ति कराई गई है जिसे वे और कैंट के करीब 20 से 25 जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होनें स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस के लिए तो कार्य करेंगे लेकिन पार्टी द्वारा नियुक्ति अध्यक्ष के निर्देशों को नहीं मानेंगे। सुरेंद्र यादव ने ये भी साफ किया है कि वे आने वाले दिनों में कैंट के करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समानांतर कांग्रेस का गठन करने वाले हैं ऐसा करके वे जनता के मुद्दों को लेकर कार्य करते रहेंगे। चर्चा के बीच ये भी सामने आया कि आने वाले दिनों में कैंट ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के विरोध में कई कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

नियमों के तहत सभी वर्ग के नियुक्त होने थे अध्यक्ष

राहुल गांधी, जीतू पटवारी के संगठन सृजन अभियान के नियमों के मुताबिक कैंट विधानसभा के तीन ब्लॉकों में ओबीसी, एससीएसटी और सामान्य वर्ग के बराबर से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी लेकिन सारे नियमों को दरकिनार खुद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया । जिसका नतीजा था कि हाल ही में कांग्रेस द्वारा जारी की गई।

गोकलपुर ब्लॉक में आदित्य मिश्रा, रांझी ब्लॉक में आशु बक्त और कैंट ब्लॉक में पवन कनौजिया की नियुक्ति कर दी गई।

नगर अध्यक्ष पर भी कसा तंज

कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के ऊपर तंज कसते हुए पार्टी के फैसले से क्षुब्ध सुरेंद्र यादव ने कहा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष तो खुद जनता दल से जुड़े हैं और वे 2007 में जनता दल से कांग्रेस में आए हैं वे कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं के काम करने की परख कैसे कर सकेंगे।

इनका कहना है

कांग्रेस द्वारा जो नियुक्ति की गईं हैं वो संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जिन लोगों का कांग्रेस के प्रति समर्पण नहीं है , जिन्हें अपने दूसरे राजनैतिक उपदेशों को सिद्ध करना है उनको इस नियुक्ति से तकलीफ होना लाजमी है। पार्टी ने ऐसे नेताओं को नियुक्ति से दूर रखा है।

सौरभ नाटी शर्मा
नगर अध्यक्ष, कांग्रेस

ऐसे लोग जो कांग्रेस की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं वे संगठन के हितैशी बिल्कुल नहीं हैं। जो ऊंगली उठा रहे हैं वो पहले अपना अपराधिक रिकॉर्ड चैक करें उसके बाद पार्टी स्तर से किसी पद की नियुक्ति की उम्मीद लगाएं।

आलोक मिश्रा
वरिष्ठ कांग्रेस नेता

एटीएस का ठेका निलंबित, आरटीओ में फिटनेस जांच हुई शुरू

जांच में मिली गड़बड़ी के बाद हुए फैसला, लगभग एक महीने आरटीओ में होगी जांच

नवभारत,जबलपुर। परिवहन विभाग जबलपुर ने कामर्शियल वाहनों की फिटनेस करने वाली आटोमेटिव टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) मनाली इंडस्ट्रीज का ठेका निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस जांच की जिम्मेदारी पुन: आरटीओ कार्यालय को सौंप दी गई है। इस निर्णय के बाद निजी एजेंसी के माध्यम से हो रही फिटनेस जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार आरटीओ विभाग की टीम द्वारा जब एटीएस में पहुंचकर जांच की गई थी तो उसमें कुछ गड़बड़ी और खामियां सामने आई थी, जिसके कारण एटीएस का ठेका निलंबित कर दिया गया है। अब सभी कामर्शियल वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया आरटीओ कार्यालय परिसर में फिर से शुरू हो गई है।

फिटनेस पोर्टल फिर से खोला गया

वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने फिटनेस से संबंधित पोर्टल भी खोल दिया है, ताकि वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय में होने वाली फिटनेस प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकें। इससे वाहन स्वामियों को किसी तरह की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया गया है।

कटंगी बाईपास में था एटीएस सेंटर

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वाहनों की फिटनेस जांच का ठेका एक निजी एजेंसी को दिया गया था। यह ऑटोमेटिव टेस्टिंग स्टेशन कटंगी बाईपास के पास संचालित हो रहा था। लंबे समय से इस व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।

इनका कहना है

शिकायतें मिलने के बाद एटीएस फिटनेस सेंटर में हमारी टीम द्वारा जांच की गई थी, जिसमें कुछ गड़बड़ी सामने आने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा ठेका होने तक आरटीओ कार्यालय में ही वाहनों का फिटनेस किया जाएगा।

संतोष पाल
सहायक आरटीओ

छू बोलते ही श्वान ने किया अटैक, प्रकरण दर्ज

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत झिरिया कुंआ में पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को श्वान से कटवा दिया। जैसे ही श्वान मालिक ने छू बोला तो श्वान ने अटैक करते हुए काट दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर श्वान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक शैलेन्द्र यादव निवासी झिरिया कुँआ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पड़ोस में रहने वाला गणेश गुर्जर उससे बुराई रखता है। मंगलवार रात्रि आठ बजे गणेश गुर्जर के घर के सामने से निकला तो गणेश गुर्जर ने अपने पालतु कुत्ते को छू कर दिया जिससे उसके दाहिने पैर में उसका पालतू कुत्ता काले रंग का काट दिया जिससे उसे चोटें आ गई।

दो प्रतिष्ठानों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

नवभारत,जबलपुर। कृषि विभाग की टीम ने बुधवार को पनागर विकासखंड में बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों के लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान चंबल फर्टिलाइज़र, एग्रो स्टार एवं विवेक बीज भंडार से बीज एवं उर्वरक के नमूने संकलित कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए। वहीं, नियमों के उल्लंघन पर वी.के. ग्रुप बेलखाडू एवं कृषि धन एग्रो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कृषि अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने, अभिलेख अद्यतन रखने तथा किसानों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस कार्यवाही में सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी प्रतिभा गौर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डॉ. पंकज शर्मा, कृषि विस्तार अधिकारी जी.पी. मांझी, सुजाता एवं विजय परसवार उपस्थित रहे।

ठंड में बच्चों को बाहर खड़े करने पर किया तलब

जबलपुर, नवभारत। अंजुमन इस्लामिया अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत 8 दिसंबर 2025 को मुजम्मिल अली द्वारा प्रस्तुत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में कक्षा चौथी की तीन छात्राओं को लेट होने पर कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के कोरिडोर में बाहर खड़ा कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज और फोटो भी उपलब्ध हैं, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कार्यालय द्वारा विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में विद्यालय को निर्देशित किया गया है कि वह शिकायत के संबंध में अपना विस्तृत और लिखित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति की तिथि से तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्रशासन का कहना है कि बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नियमों के विरुद्ध है और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57